

महनतक्षणों का पैगाम

महनतक्षणों के नाम

मज़दूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

सासाहिक

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062


वर्ष 36

अंक 41

फरीदाबाद

21-27 अगस्त 2022

फेक न्यूज की डोज/डॉ. रामवीर



बढ़ता ही जा रहा निरन्तर दुष्प्रचार का बोझ,
सच्ची खबर जाननी हो तो करनी पड़ती खोज।
पहले कभी कभी लेते थे अब लेने लगे रोज़,
व्हाट्सैप पर सहज सुनभ है फेक न्यूज की डोज।

बलाक्षर के बाद
कई शर्मनाक
खुलासे हुए

2

धुनीकरण की
राजनीति और सांझा
विरासत पर हमले

4

सावरकर की
उपलब्धियों की
'अमदरखी' का पाप
नहीं करना चाहिए

5

लाल किले से मोदी
का तालिया बटोरने
वाला प्रवचन

6

हाईकोर्ट ने टोल
करनी को नोटिस
जारी किया

8

उच्चती वारदातों से होती है पुलिस की काली कमाई न एफआईआर, न कानून का बार, वसूले पचास हजार

फरीदाबाद (म.मो.) मुद्रई से एफआईआर लिखने व कड़ी कार्रवाई करने के नाम पर पुलिस की वसूली होती है तो मुलजिम से कर्वाई न करने या केस को ढौला करने के नाम पर वसूली की जाती है। हाल ही में ऐसी दो घटनायें 'मज़दूर मोर्चा' के संज्ञान में आई हैं।

6 जुलाई को उर्मिला गर्ग नामक महिला पाली गांव स्थित अपने एक भू-खंड विक्रय को पंजीकृत कराने बड़खल तहसील में बेटों नवीन व रवि के साथ आई थी। इन लोगों पर प्रमोद नामक पाली निवासी ने कुछ गुंडों को साथ लाकर हमला कर दिया। प्रमोद चाहता था कि महिला उस जमीन को किसी और को बेचने की बाजाय उसी को औने-पैने में दे दे। इसी नीयत से प्रमोद ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक एग्रीमेंट भी किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक वह यैरेंट करके रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, इसलिये वह केवल गुंडागर्दी के बल पर विक्रेता महिला को डारा कर उसे दूसरी पार्टी को बेचने से रोकना चाहता था।

वारदात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पोसीआर आई भी और बिना कुछ किये चली भी गई। घटना की रिपोर्ट लिखने महिला के दोनों बेटे दोपहर करीब दो बजे थाना कोतवाली पहुंचे। थाने में उन्हें बताया गया कि एसएचओ के आने पर ही कोई कार्रवाई होगी। इंतजार में शिकायतकर्ता थाने में बैठे रहे। शाम करीब सात बजे एसएचओ रामवीर के आने पर उन्होंने अपनी लिखित शिकायत पेश की, जिसके बदले उन्हें उचित कार्रवाई नहीं चाहते।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी ही एक दरखास्त हमलावर पार्टी से भी ली गई। इसके बाद पुलिस चौकी एनएच दो ने असल शिकायतकर्ता गर्ग भाइयों को चौकी बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहली अगस्त को रवि चौकी में आकर इंचार्ज सब इन्स्पेक्टर सतीश के सामने पेश हुआ। बजाय लड़ाई-झगड़े से सम्बन्धित तथ्यों पर बात करने के इंचार्ज महोदय ने एग्रीमेंट व रजिस्ट्री सम्बन्धी



कानूनी पहलुओं को लेकर मामले को उलझाना चाहा। रवि ने साफ़ कर दिया कि इसके लिये दूसरी पार्टी अदालत जा सकती है, उसकी शिकायत तो केवल लड़ाई-झगड़े व गुंडागर्दी के खिलाफ़ है।

काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब दूसरी पार्टी चौकी में न आई तो थानेदार ने रवि को तीन अगस्त को आने के लिये कहा। उसने जब बार-बार चौकी आने से इन्कार किया तो थानेदार ने दोनों पक्षों के खिलाफ़ धारा 107/151 की कार्रवाई करके हवालात में डालने की बात कही। लिहाजा रवि तीन अगस्त को पुनः अपने भाई नवीन के साथ चौकी में आया। दूसरी पार्टी उस दिन भी न आई थी। बार-बार आने-जाने के चक्कर से बेचने के लिये नवीन ने लिख कर दे दिया कि उनकी रजिस्ट्री तो हो चुकी है और अब वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते।

रवि ने बाद में इस संवाददाता को बताया कि पुलिस खर्चे के नाम पर उसकी ओर से 50 हजार रुपये जा चुके थे। जानकार बताते हैं कि इससे भी कहीं बड़ी रकम मुलजिम पक्ष से भी वसूली जा चुकी थी। जाहिर है कि अपनी ऐसी ही लूट कमाई के चक्कर में पुलिस गुंडागर्दी के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई न करके मामले को इधर से उधर घुमाती रहती है जिससे गुंडों के हाँसले बढ़ते हैं, बरना पुलिस को तुरन्त कार्रवाई करते हुए हमलावरों को हिरासत में लेकर उचित सबक सिखाना

चाहिये था।

निःसंदेह पुलिसवाले तो इस तरह की किसी भी वसूली से इन्कार करेंगे ही, देने वाले भी पुलिसिया भय के चलते मुकर सकते हैं। लौकिक वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई क्या की? हफ्तों बाद शिकायतकर्ता को पुलिस चौकी बुलाने

का मतलब क्या था? यही प्रश्न पुलिस की बदनीयता को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है।

वाहन दुर्घटना से भी पुलिस को होती है कमाई

दिनांक 10 अगस्त को प्रातः: करीब चार-पांच बजे अखबार सप्लाई करने वाली एक कार को अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर ने ठोक दिया। दुर्घटना बल्लबगढ़ बसअड्डा पुलिस चौकी के निकट हुई थी। सूचना मिलने पर थाना शहर पुलिस ने कार मालिक विनोद लाल को दुर्घटनाग्रस्त वाहन को थाने लाने का आदेश दिया। दुर्घटना स्थल से महज 100 मीटर के फासले तक इसे केन द्वारा ले जाने के लिये विनोद को 1000 रुपये खर्च करने पड़े।

करीब 9 बजे, ट्रैक्टर मालिक के आने के बाद शुरू होता है पुलिस का खेल। उससे सौदा तय हो जाने के बाद पुलिस ने विनोद को मात्र 2000 रुपये लेकर

राजीनामा करने का दबाव बनाया। विनोद ने इससे साफ़ इन्कार कर दिया और अपनी लिखित शिकायत थाने में छोड़ कर जाने लगा तो कई पुलिस वालों ने मिल कर उसे घेर लिया और समझाने लगे कि मुकदमे में क्या रखा है, कोई कचहरी के चक्कर लगाता रहेगा, आनी-जानी कुछ नहीं। गाड़ी का नुकसान हुआ है तो बीमा कम्पनी से क्लेम करो। नुकसान तो ट्रैक्टर का भी हुआ है। करीब चार-पांच घंटे चली इस कावायद के बाद पुलिस ने विनोद को 20 हजार रुपये ट्रैक्टर मालिक से दिलाया जबकि उसका नुकसान सवा लाख से कम का नहीं था। इसके बाद 2000 रुपये में क्रेन करके वह अपनी गाड़ी को दिल्ली ले गया।

गौरतलब है कि ट्रैक्टर चालक के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। विनोद को दबाव में लेने के लिये पुलिस ने ट्रैक्टर का ड्राइवर तक बदलने की बात कही थी। ट्राली सहित शहर में घूम रहे ट्रैक्टर के पास न तो कमर्शियल परमिट था, न ही इन्स्योरेंस, न ही पंजीकरण और न ही फिनेस प्रमाणपत्र।

सर्वविदित है कि कृषि कार्य के लिये बने ट्रैक्टर को शहर में लाकर कमर्शियल काम करने के लिये विशेष परमिट लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा वाहन सड़क पर चलने के लायक है या नहीं, इसका प्रमाणपत्र बाकायदा मोटर व्हीकल इन्स्पेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। इन सब उल्लंघनों के चलते पुलिस द्वारा उस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालान किया जाना चाहिये था।

जाहिर है कि पुलिस ने उसे इन सब ग़नाहों से मुफ्त में तो नहीं ही छोड़ दिया है। बेशक विनोद ने जैसे-तैसे रोते-पीटे दबाव में समझौता कर लिया, लेकिन इससे ट्रैक्टर का शहर में चलना तो वैध नहीं हो गया था। पुलिस विनोद की शिकायत वापस लिये जाने के बाद भी मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर सकती थी। रिश्वतखोरी के बल पर चलते इस तरह के अवैध वाहनों का सङ्क दुर्घटनाओं में बड़ा योगदान रहता है।

